

T.V. Coverage of Parliament Proceedings

10742. SHRI HALIMUDIN A/H-MED: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that A.I.R. and T.V. Centre of Delhi shows partiality in giving coverage to Parliament proceedings and Members of Parliament;

(b) if so, the reasons and details thereof; and

(c) if not, why reactions of a few members on a particular subject are covered and others are ignored?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. There is no discrimination against any member or Parliamentary group in the coverage of parliamentary proceedings by AIR and Doordarshan

(b) Does not arise.

(c) Both All India Radio and Doordarshan make every effort to provide adequate coverage to all important news-worthy happenings and speeches in the two Houses of Parliament. However, because of the limited time available for broadcast of news bulletins etc it is not possible to report all the proceedings of Parliament and only the main points emerging during debates/discussions and the points of view expressed by different parties' spokesmen can be noticed.

कोयला खानों में सेवा निवृत्त अधिकारियों के निकटतम सम्बन्धियों की रोजगार देना

10743. श्री रामानन्द तिवारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कोयला खानों में काफी घटो से काम कर रहे अधिकारियों के सेवा निवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर उनके लड़के/दामाद/भाई को नियुक्त नहीं किया जाता है जबकि ये लोग गत 30-40 वर्षों से से कठोर परिश्रम कर रहे थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों के अधिग्रहण के पूर्व व्यक्तिगत स्वामी कोयला खानों के अधिकारों के सेवा-निवृत्त/देहान्त किसी कारण बहा प्रशस्य हो जाने पर उनके लड़के/दामाद/भाई को नियुक्त करते थे ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार कोयला खान के अधिकारों के सेवा-निवृत्त/देहान्त, प्रशस्य हो जाने पर उनके लड़के/दामाद/भाई को प्राथमिकता देने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सेवा निवृत्त कामगारों के पुत्रों/दामादों/भाइयों का नियुक्ति में प्राथमिकता देने की कोई नीति नहीं है।

(ख) इस प्रकार का नियुक्तियों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार का विचार सेवा-निवृत्त कामगारों के पुत्रों/दामादों/भाइयों का वर्गीयता के आधार पर निर्धारण देने का नहीं है। परन्तु धानक दुर्घटनाओं और पूर्ण प्रयागना हा जान क मामलों में, काल दृष्टिया नि० और उनकी सहायक कर्पागया पुत्र पुत्री अथवा पति/पत्नी का, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, नोकरी देने पर विचार करना है। कुछ ऐसे मामलों में जिनमें अन्य कारणों से मृत्यु होने के कारण महानुस्मृति आवश्यक हो जाती है तथा परिवार की दशा बहुत शालीन्य हाती है, पुत्र/पत्नी/पुत्री का उपयुक्तता के आधार पर नोकरी देने का प्रस्ताव किया जाता है।

Expenditure of IDPL on Advertisement

10744. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how much amount has been incurred by IDPL on advertisements during last three years, year-wise; and

(b) what is the profitability of IDPL during last three years, production/sale of formulations produced by IDPL themselves and not through trading operations of imported bulk drugs/formulations based thereon?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.